

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि०

--: विज्ञापन :-

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि० भोपाल, के अंतर्गत कार्यालयीन/क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न पदों के लिये जॉब दर पर नियोजन हेतु वन विकास निगम/वन विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 20.02.2018 तक कार्यालय समय में आमंत्रित किये जाते हैं ।

आवेदक को निगम मुख्यालय/किसी एक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय अथवा उसके अधीन सहायी कार्यालयों के लिये निर्धारित पदों में से एक पद के लिये सशुल्क आवेदन करना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाईट www.mpsfdc.com देखें।

14.2.18

प्रबंध संचालक,

जॉब दर पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सेवा शर्तें

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि० भोपाल, के अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय एवं अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के रिक्त पदों के विरुद्ध जॉबदर पर नियुक्ति हेतु इच्छुक वन विकास निगम/वन विभाग के सेवा निवृत्त स्वस्थ शासकीय सेवकों से कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की सूची निम्नानुसार है -

जॉब दर पर आवश्यक पदों की अनुमानित संख्या का विवरण

क्र	पद का नाम	पदों की संख्या				
		क्षेमुमप्र, भोपाल के अधीनस्थ	क्षेमुमप्र, जबलपुर के अधीनस्थ	क्षेमुमप्र, सिवनी के अधीनस्थ	मुख्यालय, भोपाल	कुल पद संख्या
1	संयुक्त संभागीय प्रबंधक	—	—	—	01	01
2	प्रबंधक (लेखा)	—	01	—	—	01
3	उप प्रबंधक (लेखा)*	01	02	—	01	04
4	सहायक प्रबंधक	—	01	—	—	01
5	निज सहायक/ शीघ्र लेखक	—	—	—	01	01
6	वरिष्ठ लेखापाल	—	03	01	—	04
7	लेखापाल	03	05	02	—	10
8	मानचित्रकार	—	01	01	—	02
9	स.प.क्षे./क्षेत्र रक्षक	—	43	36	—	79
10	कार्यालय सहायक	—	04	—	—	04
योग:-		04	60	40	03	107

*उप प्रबंधक(लेखा) हेतु लेखा से संबंधित कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।

जॉबदर पर नियुक्ति के लिए मापदंड निम्नानुसार है :-

1. आवेदक म.प्र. राज्य वन विकास निगम/मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी होना चाहिये।
- 2.(अ) जो आवेदक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल के कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के कार्यालयीन/क्षेत्रीय पदों के लिये आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि०, वनिता नर्सरी परिसर,



- जवाहर बाल भवन के पास, तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.) पिन-462003 में आवेदन करना होगा।
- (ब) जो आवेदक म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि. के मुख्यालय के पदों के लिये आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, भोपाल म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि. वनिता नर्सरी परिसर, जवाहर बाल भवन के पास, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.) पिन-462003 में आवेदन करना होगा।
- (स) जो आवेदक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर के कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के कार्यालयीन/क्षेत्रीय पदों के लिये आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि0, 451 संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) में आवेदन करना होगा।
- (द) जो आवेदक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक सिवनी के कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के कार्यालयीन/क्षेत्रीय पदों के लिये आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक सिवनी कार्यालय, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि0, वनिता नर्सरी परिसर, जवाहर बाल भवन के पास, तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.) पिन-462003 में आवेदन करना होगा।
3. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का विगत 5 वर्षों का गोपनीय प्रतिवेदन समग्र रूप से बहुत अच्छा श्रेणी या उससे उच्च श्रेणी का होना चाहिए।
 4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विगत 5 वर्षों के सेवाकाल दौरान किसी भी समय उनकी निष्ठा पर कोई संदेह/आक्षेप एवं दंडित न किया गया हो।
 5. जॉबदर पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी म.प्र. राज्य वन विकास निगम के सभी कार्यालयों एवं संभागीय कार्यालयों में कार्य करने के लिए सहमत हो।
 6. आवेदक की आयु दिनांक 01 मार्च, 2018 को 64 वर्ष से अधिक न हो।
 7. जॉबदर पर नियुक्ति एक बार में एक वर्ष के लिए दी जावेगी। एक वर्ष उपरान्त अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद होने पर एवं अधिकारी/कर्मचारी की सहमति होने पर शर्त क्रं. 08 का पालन करते हुये कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में एक वर्ष की वृद्धि दी जा सकती है। कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।
 8. जॉबदर पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्य एवं पद के अनुरूप निगम द्वारा निर्धारित जॉबदर के अनुसार राशि देय होगी। वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए जॉबदर शासन के निर्देशानुसार उन्हें सेवानिवृत्त के समय धारित पद पर देय कुल परिलब्धि में से पेंशन की राशि कम करके शुद्ध परिलब्धियों को 26 कार्य दिवस में विभाजित कर प्रति दिवस 6 घंटे 30 मिनट कार्य अवधि के मान से प्रति घंटा के अनुसार जॉबदर का निर्धारण किया जाएगा।
 9. जॉबदर पर सेवा में रखे गये अधिकारी/कर्मचारी अपनी आयु के अधिकतम 65 वर्ष तक कार्य कर सकेंगे। निगम को आवश्यकता न होना या सीधी भर्ती/पदोन्नति से पदों की पूर्ति होने पर एक माह का नोटिस देकर कर्मचारी/अधिकारी को कार्य से मुक्त कर



- सकता हैं। अधिकारी/कर्मचारी भी यदि कार्य करने के इच्छुक न हो तो एक माह का नोटिस या एक माह का पारिश्रमिक देकर कार्य छोड़ सकता है।
10. सीधी भर्ती/पदोन्नति से पदों की पूर्ति होने की स्थिति में अथवा जॉबदर पर सेवा पर लिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य व्यवहार, अनुशासन या स्वास्थ्य आदि संतोषप्रद न होने पर एक माह की पूर्व सूचना या एक माह के पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 11. यात्रा भत्ता की पात्रता समकक्ष पद के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान नियमानुसार प्रभावशील होगी।
 12. जॉबदर पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी स्वस्थता का प्रमाण पत्र देना होगा।
 13. जॉबदर पर रखे जाने के दौरान उन्हें निगम का आवास गृह आबंटन की पात्रता नहीं होगी और न ही उन्हें गृह भाड़ा भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय होगा।
 14. सेवानिवृत्त परियोजना क्षेत्रपाल एवं उससे वरिष्ठ कार्यपालिक सेवानिवृत्त अधिकारी को सहायक संवितरण/संवितरण का अधिकार नहीं होगा और वनों से संबंधित वैधानिक कार्य करने का अधिकार नहीं होगा। उक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा सौंपे गये सभी कार्य उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संपादित करने होंगे।
 15. विज्ञापन में उल्लेखित पदों की संख्या अनुमानित है और उसमें परिवर्तन हो सकता है।
 16. वन विकास निगम/वन विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के आवेदन पर उन्हें जॉबदर पर रखने/नहीं रखने का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि० का होगा।
 17. सेवा निवृत्त कर्मचारी को केवल निगम मुख्यालय/किसी एक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय व अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के लिये निर्धारित पदों में से एक पद के लिये सशुल्क आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ रु. 1000/- के शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल के नाम देय होगा, संलग्न करना होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।

Ca. 2.18
प्रबंध संचालक,

